रजिस्ट्री सं० डी० एल०–33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 520] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 01, 2014/फाल्गुन 10, 1935
No. 520] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 01, 2014/PHALGUNA 10, 1935

IndiaCode

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2014

का.आ. 609(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1097(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005, द्वारा जम्मू एवं क मीर राज्य में तत्कालीन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1ए (नया रारा–44) के 0.00 कि.मी. से 20.40/9.20 कि.मी. (जम्मू बाइपास) और 9.20 कि.मी. से 286.00 कि.मी. तक जम्मू श्रीनगर सेक ान, जिसमें नगरौटा बाइपास (लम्बाई 14.40 कि.मी.) और उधमपुर बाइपास (लम्बाई 18.70 कि.मी.) शामिल है, व 286.00 कि.मी. से 303.80 कि.मी. तक श्रीनगर बाइपास तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपा था;

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्डों, स्थायी पुलों, बाइपासों और सुरंगों के उपयोग के लिए सा.का.नि. 838, (अ), दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा शुल्क संग्रहण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 बनाए हैं और इनमें सा.का.नि. 950 (अ), दिनांक 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15 (अ), दिनांक 12 जनवरी, 2011, सा.का.नि. 756 (अ), दिनांक 12.10.2011, सा.का.नि. 778 (अ), दिनांक 16 दिसम्बर, 2013 और सा.का.नि. 26 (अ), दिनांक 16 जनवरी, 2014 द्वारा सं ोधन किए गये थे;

अतः, अब, समय–समय पर यथासं ोधित, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008, (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार जम्मू व क मीर राज्य में तत्कालीन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1ए (नया रा.रा–44) के 15.000 कि.मी. (जम्मू–बाइपास पर) से रारा 1ए के 67.000 कि.मी. तक [15.200 कि.मी. से 20.305/9.370 कि.मी. तक (जम्मू बाइपास), 9.370 कि.मी. से 52.457/0.00 कि.मी. तक जिसमें 9.800 कि.मी. से 21.500 कि.मी. (लम्बाई 11.7 कि.मी.) तक नगरौटा बाइपास शामिल है, और जम्मू–श्रीनगर सेक ान पर उद्यमपुर बाइपास के 0.00 कि.मी. से 16.387/67.000 कि.मी. तक जम्मू उद्यमपुर खण्ड के पुनः स्थापन, सुदृढ़ीकरण और चार लेन का बनाने की परियोजना के अन्तर्गत डीबीएफओटी आधार पर बीओटी (वार्षिकी) आधार पर नीचे दी गई सारिणी 1 के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट

प्रकार के वाहनों पर सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 58.973 कि.मी. और 5.606 कि.मी. की अवसंरचनाओं (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) की 56.06 कि.मी. की सड़क की समकक्ष लम्बाई पर सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) शुल्क उद्ग्रहीत करती है और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है; अर्थातः—

सारणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007—08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (भ.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.व.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क, ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु निम्नलिखित टोल प्लाजा पर शोध्य और संदेय होगाः—

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
22.600 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 20.000 कि.मी.) (जम्मू जिले में गांव बन के पास)	58.973 (नीचे पैरा—2 में निर्दिष्ट अवसंरचनाओं की 5606 मीटर लम्बाई को छोड़कर)

2. उपर्युक्त के अलावा, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर निम्नलिखित अवसंरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए, ऐसी अवसंरचनाओं की लम्बाई को 10 के समान कारक से गुणा करके उन अवसंरचनाओं की लम्बाई को राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	समकक्ष सड़क लम्बाई में परिवर्तित की जाने वाली अवसंरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	समकक्ष सड़क लम्बाई (कि.मी. में)
22.600 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 20.000 कि.मी.) (जम्मू जिले में गांव बन के पास)	5.606	56.06

* ब्यौरा निम्नानुसार हैः—

बड़ी अवसंरचना की संख्या	चैनेज लेफ्ट सी डब्ल्यू		लम्बाई मीटर में (एलसीडब्ल्यू)	चैनेज राइट सी डब्ल्यू		लम्बाई मीटर में (आरसीडब्ल्यू)
	कि.मी. से	कि.मी. तक		कि.मी. से	कि.मी. तक	
बी—2	17.814	18.504	690	17.814	18.504	690
सीडी—1	9.876	9.984	108	9.876	9.984	108
सीडी—2	12.440	12.580	140	12.440	12.580	140
वी—1	13.220	13.460	240	13.220	13.460	240
सीडी—3	14.335	14.485	150	14.335	14.485	150
सीडी—4	15.400	15.550	150	15.400	15.550	150
सीडी—5	15.819	15.981	162	15.819	15.981	162
वी—2	16.815	16.955	140	16.815	16.955	140
बी—8	18.532	18.612	80	18.532	18.612	80
बी—9	19.495	19.595	100	19.495	19.595	100
वी—2ए	20.625	20.745	120	20.625	20.745	120
वी—3	23.208	23.528	320	23.208	23.528	320
टी—1	23.720	23.890	170	23.715	23.880	165
वी—4बी	24.034	24.114	80	24.034	24.114	80
वी—5	24.215	24.445	230	24.215	24.445	230
टी—2	24.480	24.711	231	24.533	24.800	267
टी—3	24.940	25.370	430	24.916	25.390	474
टी—4	25.490	26.020	530	25.490	26.000	510

वी—10	31.335	31.565	230	31.335	31.565	230
वी—10ए	35.447	35.587	140	35.447	35.587	140
वी—14	39.455	39.545	90	39.455	39.545	90
वी—16	39.850	39.950	100	39.850	39.950	100
बी—21	49.340	49.480	140	49.340	49.480	140
बी—23	50.203	50.303	100	50.203	50.303	100
बी—24	50.350	50.490	140	50.350	50.490	140
बी—25	52.060	52.160	100	52.060	52.160	100
बी—28	2.840	3.020	180	कोई बड़ा पुल नहीं है		
बी—30	5.634	5.934	300	5.752	5.817	65
एफओ	11.920	12.020	100	11.920	12.020	100
बी—31ए	12.650	12.750	100	कोई बड़ा पुल नहीं है		
बी—32	कोई बड़ा पुल नहीं है		—	13.500	13.590	90
योग			**5791**			**5421**
					अवसंरचनाओं की औसत लम्बाई	**5606 एम**

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर—वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2013—14 के लिए मासिक पास की दर 215.00 रूपए (दो सौ पन्द्रह रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाएगा ।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किये जाएंगें अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो—तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

5. जिस जिले में टोल प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

6. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन्हें उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

7. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

9. ऊपर सारणी —1 में यथा—उल्लिखित, आधार वर्ष 2007—08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना प्राधिकरण द्वारा राजमार्ग परियोजना के पूरे कर लिए भाग के आधार पर की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर सं ोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रजी और स्थानीय भाषा के कम—से—कम एक—एक समाचार पत्र में प्रका ित किया जाएगा।

10. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 1941.45 करोड़ रुपए है। पूंजीगत लागत में अन्तर हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन उपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण वृक्ष काटने आदि की गतिविधियाँ अभी पूरी की जानी है। अन्तिम पूंजी लागत अलग से अधिसूचित की जाएगी। प्राधिकरण द्वारा उपयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं0 भाराराप्रा / 13013 / 754 / सीओ / 13—14 / जीसी—जम्मू—उद्यमपुर खण्ड—बीओटी(वार्षिकी)]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2014

S.O. 609(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O 1097(E) dated 4th August, 2005, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government entrusted the stretch from km. 0.00 to km. 20.40/9.20 (Jammu Bypass) and from km. 9.20 to km. 286.00 Jammu Srinagar Section including Nagrota Bypass (length 14.40 km) and Udhampur Bypass (length 18.70 km) and from km. 286.00 to km. 303.80 Srinagar Bypass of erstwhile National Highways No. 1A (new NH-44) in the State of Jammu and Kashmir to the National Highways Authority of India (herein after referred to as the "Authority");

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) has framed the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, vide G.S.R. 838(E) dated the 5th Dec, 2008, and amended vide G.S.R. 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R. 15(E) dated 12th January, 2011, G.S.R. 756(E) dated 12.10.2011, G.S.R. 778(E) dated 16th December, 2013 and G.S.R. 26(E) dated 16th January, 2014 for collection of fee for use of sections of national highways, permanent bridges, bypasses and tunnels;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the "said Rules"), the Central Government hereby levies the fee at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 58.973 km. and 5.606 km. of structures (having length more than 60 m) with equivalent length of 56.06 km. (hereinafter referred to as "base rate") on the Type of Vehicles specified in column (1) of Table 1 below, under the project of Rehabilitation, Strengthening and four laning of Jammu-Udhampur section from km. 15.000 (on Jammu Bypass) to km 67.000 of NH-1A [km. 15.200 to km. 20.305/9.370 (Jammu Bypass), from km. 9.370 to km. 52.457/0.00 including Nagrota Bypass from km. 9.800 to km. 21.500 (Length 11.7 km.) and from km. 0.00 to km. 16.387/67.000 of Udhampur Bypass on Jammu-Srinagar Section of erstwhile National Highway No. 1A (New NH-44)] on BOT (Annuity) basis on DBFOT basis in the State of Jammu and Kashmir and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Indiacode

TABLE 1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km. for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle Commercial Vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for net road length specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
Km. 22.600 (design chainage) (existing chainage km. 20.000) (near Village Bann in Jammu District)	58.973 (excluding 5606 m length of structures indicated in Para-2 below)

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Toll Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length of structures* (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)
Km. 22.600 (design chainage) (existing chainage km. 20.000) (near Village Bann in Jammu District)	5.606	56.06

* The details are as under:-

Major Structure No.	Chainage Left CW		Length in m (LCW)	Chainage Right CW		Length in m (RCW)
	From Km	To Km		From Km	To Km	
B-2	17.814	18.504	690	17.814	18.504	690
CD-1	9.876	9.984	108	9.876	9.984	108
CD-2	12.440	12.580	140	12.440	12.580	140
V-1	13.220	13.460	240	13.220	13.460	240
CD-3	14.335	14.485	150	14.335	14.485	150
CD-4	15.400	15.550	150	15.400	15.550	150
CD-5	15.819	15.981	162	15.819	15.981	162
V-2	16.815	16.955	140	16.815	16.955	140
B-8	18.532	18.612	80	18.532	18.612	80
B-9	19.495	19.595	100	19.495	19.595	100
V-2A	20.625	20.745	120	20.625	20.745	120
V-3	23.208	23.528	320	23.208	23.528	320
T-1	23.720	23.890	170	23.715	23.880	165
V-4B	24.034	24.114	80	24.034	24.114	80
V-5	24.215	24.445	230	24.215	24.445	230
T-2	24.480	24.711	231	24.533	24.800	267
T-3	24.940	25.370	430	24.916	25.390	474
T-4	25.490	26.020	530	25.490	26.000	510
V-10	31.335	31.565	230	31.335	31.565	230
V-10A	35.447	35.587	140	35.447	35.587	140
V-14	39.455	39.545	90	39.455	39.545	90
V-16	39.850	39.950	100	39.850	39.950	100
B-21	49.340	49.480	140	49.340	49.480	140
B-23	50.203	50.303	100	50.203	50.303	100
B-24	50.350	50.490	140	50.350	50.490	140
B-25	52.060	52.160	100	52.060	52.160	100
B-28	2.840	3.020	180	No Major Bridge		-
B-30	5.634	5.934	300	5.752	5.817	65
FO	11.920	12.020	100	11.920	12.020	100
B-31A	12.650	12.750	100	No Major Bridge		-
B-32	No Major Bridge		-	13.500	13.590	90
TOTAL			**5791**			**5421**
					Average length of structures	**5606 m**

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 215.00 (Rupees Two Hundred Fifteen only) for the year 2013-14 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the rules, shall be liable to pay fee equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions, category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

9. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed portion of the length of the project highway and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

10. The estimated capital cost of the project is Rupees 1941.45 crores. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. are yet to be completed. The final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/754/CO/13-14/GC–Jammu-Udhampur Section- BOT (Annuity)]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.